सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2018/00146

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 62/2018

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री तेजभान रहेजा (नमूना विक्रेता एवं मालिक)
   मै0 न्यू सदाबहार स्वीट हाउस, दुकान नम्बर 05, छोटी पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर।
   निवासी– 284 बी, सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26(2)(2)/51

निर्णय **दिनांक : 21.06.2019**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2017 को दोपहर बाद 1.30 बजे श्री राकेश कुमार सचदेवा, लेबतकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म **मै0** यू सदाबहार स्वीट हाउस, दुकान नम्बर 05, छोटी पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर पहुचें। वहां पर श्री वेदप्रकाश पुत्र तेजभान रहेजा उपस्थित मिला। निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर स्वीट हाउस का निरीक्षण किया तो उपरोक्त स्वीट हाउस में एक स्टील की प्लेट में 50 नग **समौसे (रिफाइंड सोयाबीन तेल में बने)** आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए पाया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच **के–848** के नमूनीकरण के लिए इनमे से 2 किलोग्राम, **समौसे (रिफाइंड सोयाबीन तेल में बने)** खरीदा जिसकी कीमत 160/–रूपये (अखरे एक सौ साठ रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाह श्री राकेश कुमार सचदेवा एवं श्री अशोक कुमार के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर–5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर **समौसे (रिफाइंड सोयाबीन तेल में बने)** विक्रेता श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री तेजभान रहेजा एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **समौसे (रिफाइंड सोयाबीन तेल में बने)** को एक सूखी प्लेट में एक रूप करके एवं परिरक्षक की उचित मात्रा मिलाकर बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलो में भरकर चार नमूना भाग बनाए एवं ढक्कन बंद कर उन पर टेप चिपकाई। चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–848** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–848** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। नमूनीकरण के पश्चात शेष बचे **समौसे (रिफाइंड सोयाबीन तेल में बने)** को नियमानुसार जब्त कर नमूना विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2217/एक्ट/2017/2289 दिनांक 25.10.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–848 समौसे (रिफाइंड सोयाबीन तेल में बने) अमानक स्तर SUBSTANDARD** खाद्य पदार्थ पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त वेदप्रकाश पुत्र श्री तेजभान रहेजा **मै0**, यू सदाबहार स्वीट हाउस, दुकान नम्बर 05, छोटी पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **समौसे** (रिफाइंड **सोयाबीन तेल में बने**) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा **26(2)(2)/51** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 16.07.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संख्या के–848 लेते समय जो समौसे का नमूनीकरण किया गया है वह फर्द रिपोर्ट अनुसार स्टील की ट्रे में रखा होना बताया गया है। परिवाद की चरण संख्या 3 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूने को एक साफ सूखी प्लेट में एक रूप करके एवं परिक्षक की उचित मात्रा मिलाकर बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर 4 नमूने भाग बनाए एवं उन पर लेबल चिपकायें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण में एक रूपता करने की विधि के बारे में नहीं बताया गया है। कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमूने को एक रूपता प्रदान करने के

लिए प्रयुक्त साधनों/औजारों का कोई विवरण दर्ज नहीं कियाक गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद की चरण संख्या 3 में प्लेट में एक रूपता प्रदान की गई है लिखा है जबकि एक प्लेट में खरीद शुदा बीस समौसों को एक रूपता प्रदान किया जाना असम्भव है। एक प्लेट में बीस समौसे नहींआ सकते है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण के दौरान नमूनीकरण विधि अनुसार नहीं किया गया है। नमूनीकरण के दौरान नमूने को एक रूपता नहीं दी जा सकी जिससे वाद खारिज किये जाने योग्य है। जन विश्लेषक द्वारा जारी जॉच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2217/ एक्ट/2017/2289 दिनांक 25.10.2017 में सोयाबीन तेल की जॉच की गई है जबकि उक्त समौसे सोयाबीन रिफाइन्ड तेल से निर्मित थें। उक्त में स्टैन्डर्ड एफ.एस. आई. का 2.2.1.(14) सोयाबीन आईल का लगाया गया है जबकि जॉच रिफाईन्ड सोयाबीन आईल की चाहिए थी जो कि नहीं की गई है। समौसा जो कि एक प्रोपराईट्री फूड होने के कारण इसमें अन्य खाद्य प्रदार्थ जैसे आलू,मैदा, विभिन्न मिर्च मसाले, तेल आदि मिक्स होने के कारण उसमें सिर्फ तेल की शुद्वता की जांच नहीं हो पाती है क्योंकि यह काफी मिक्स खाद्य प्रदार्थो से निर्मित होने के कारण जॉच में अन्तर पाया जा सकता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, के आदेश दिनॉक 10.12.2013 एफ.ए.सी. 264, 2014(1) व एक अन्य वाद संख्या 172/2006 में आदेश दिनॉक 12 मार्च 2014 एफ.ए.सी. 207, 2014(1) में माननीय उच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण के दौरान नमूनीकरण विधि अनुसार नहीं किया गया है, नमूनीकरण के दौरान नमूने एक रूपता नहीं दी जा सकी जिससे वाद खारिज किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से एफ.एस.एस.ए. के नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि एफ.एस.एस.ए. के तहत खाद्य नमूना संख्या के 848 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार एफ.एस.एस.एक्ट , 2006 की धारा–3(1)(ZX) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **समौसे (रिफाइंड सोयाबीन तेल में बने)** का सैम्पल **के–848** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2217/ एक्ट/2017/2289 दिनांक 25.10.2017 द्वारा **SUBSTANDARD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की **धारा 26(2)(2)/51** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि जन विश्लेषक द्वारा जारी जॉच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2217/ एक्ट/2017/2289 दिनांक 25.10.2017 में सोयाबीन तेल की जॉच की गई है जबकि उक्त समौसे सोयाबीन रिफाइन्ड तेल से निर्मित थें। उक्त में स्टैन्डर्ड एफ.एस.आई. का 2.2.1.(14) सोयाबीन आईल का लगाया गया है जबकि जॉच रिफाईन्ड सोयाबीन आईल की चाहिए थी जो कि नहीं की गई है। समौसा जो कि एक प्रोपराईट्री फूड होने के कारण इसमें अन्य खाद्य प्रदार्थ जैसे आलू,मैदा, विभिन्न मिर्च मसाले, तेल आदि मिक्स होने के कारण उसमें सिर्फ तेल की शुद्वता की जांच नहीं हो पाती है क्योंकि यह काफी मिक्स खाद्य प्रदार्थो से निर्मित होने के कारण जॉच में अन्तर पाया जा सकता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, के आदेश दिनॉक 10.12.2013 एफ.ए.सी. 264, 2014(1) व एक अन्य वाद संख्या 172/2006 में आदेश दिनॉक 12 मार्च 2014 एफ.ए.सी. 207, 2014(1) में माननीय उच्च

न्यायालय में अभिनिर्धारित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण के दौरान नमूनीकरण विधि अनुसार नहीं किया गया है, नमूनीकरण के दौरान नमूने एक रूपता नहीं दी जा सकी जिससे वाद खारिज किया गया है। उपरोक्त सम्बन्धित वाद में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण का कार्य सही ढंग से एफ.एस.एस.ए. के नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि एफ.एस.एस.ए. के तहत खाद्य नमूना संख्या **के–848** में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है जांच रिपोर्ट के अनुसार एफ.एस.एस.एक्ट , 2006 की धारा–3(1)(zx) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः वाद निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 25.10.2017 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया जिसमें "Butyro -Refractometer Reading at 40 C Extracted Oil 57.3 % पाया गया जबकि Prescribed standards 58.5 to 68.0 के मध्य रहना चाहिए। इसी तरह Iodine value of extracted Oil भी 120 to 141 के Standards के विरूद्व 103.70 पायी गयी है। जिसमें Sub-Stamdard Food होना साबित होता है। अतः अभियुक्त श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री तेजभान रहेजा (नमूना विक्रेता एवं मालिक) पर **SUBSTANDARD समौसे (रिफाइंड सोयाबीन तेल में बने)** विक्रय करने पर धारा 26**(2)(2)/51** के तहत शास्ति 5000/–रूपये (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **समौसे (रिफाइंड सोयाबीन तेल में बने)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन) 21/6
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर